


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम तामील में जारी हुये
10.11.20	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित मूल वाद का निस्तारण किया जा चुका है। मूल वाद के अभाव में प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटीए पर कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं है। अतः इस प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। मूल वाद के साथ संलग्न रहे।</p> <p style="text-align: center;"> <b>उपखण्डाधिकारी</b> <b>धौलपर (राज)</b></p>	